कृषि निदेशालय, बिहार
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

पत्र संख्या :–रा0खा0सु0मि0को0–54/2009 847 /कृ0, पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010

प्रेषक

अरविन्दर सिंह, भा0व0से0
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निदेशक,
बामेती, बिहार, पटना।

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2010–11 अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग : निदेशक, बामेती, बिहार, पटना का पत्रांक–691 दिनांक– 19.10.2010

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत जिला नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा पूर्णियाँ से प्राप्त अव्यवहृत प्रत्यार्पित राशि कुल 371.392 (तीन करोड़ एकहत्तर लाख उनचालीस हजार दो सौ) रूपये मात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के खाते में उपलब्ध है। जिसे वित्तीय वर्ष 2010–11 में दलहन अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार समानुपातिक रूप से कार्यान्वयन एजेंसीवार उपावंटित किया गया है जो संलग्न अनुसूची–1 की कंडिका–7 पर अंकित है।

1. निदेशक, बामेती, बिहार संलग्न अनुसूची–2 के कॉलम–3 में अंकित राशि एवं नाम से लेखा देय बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाकर संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा इस राशि को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु अलग से संधारित लेखा में रखा जायेगा एवं लेखा संधारण के मानक नियमों एवं समय–समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा।
3. कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्तीय वर्ष 2010–11 के समाप्ति के तुरन्त बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित प्रतिवेदन भारत सरकार एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा एवं माँगे जाने पर उन्हें अभिलेख, अभिश्रव इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2010–11 अंतर्गत स्वीकृत दलहन के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शत्–प्रतिशत ससमय करना सुनिश्चित किया जायेगा।